कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

फोन नंबर 07727–222076 फैक्स नंबर 07727–223676 Mail Id drdabbb@gmail.com

कं./8957/स्था/शिक्षा/जि.पं/नियु./2017 बलौदाबाजार–भाटापारा,दिनांक 02 DEC 2017

//आदेश//

आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय, छ.ग., नया रायपुर के पत्र कमांक/पंचा/शिक्षा/2017/287 नाया रायपुर, दिनांक 20.07.2017 को जिला बलौदाबाजार–भाटापारा हेतु प्राप्त रिक्त पदों पर दिनांक 27.08.2017 को आयोजित व्याख्याता पंचायत की सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल नया रायपुर द्वारा प्रदेश के संभाग मुख्यालयों में आयोजित परीक्षा का छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र कमांक/पंचा/शिक्षा/पंग्राविवि/22/750 नया रायपुर, दिनांक 12.10.2017 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रावीण्य सूची के आधार पर छ.ग. शिक्षा (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 22.11.2017 के अनुमोदन उपरांत अधोलिखित उम्मीदवारों को व्याख्याता पंचायत के पद पर वेतनमान 5300–150–8300 मे अस्थायी तौर पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निहित शर्तो के अधीन उनके नाम के सम्मुख (कालम कमांक 05) में अंकित शाला में आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।

-: SUBJECT GEOGRAPHY :-

S.No	Name	Father/Husband Name	Selection Category	Posting School/Block
1	LAHARAM MANHARE	BANSHRAM MANHARE	UR	H.S.S. KOHRAUD/ BALODABAZAR
1	DEEPSHRI KURRE	DINESH KURRE	SC	H.S.S.VISHRAMPUR/ SIMGA

निहित शर्ते :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, चयनित उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी शाला विषेश के लिए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त है, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत के कार्य का आकलन किया जायेगा। व्याख्याता पंचायत के कार्य तथा आचरण संतोषप्रदं होने की दशा में परिवीक्षा अवधि हटायी जा सकेगी। व्याख्याता पंचायत का कार्य संतोष जनक नही पाया जाता है तो इसके पश्चात पुनः बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अंत में कार्य का आकलन किया आवेगा और यदि फिर भी उनकी सेवाए संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्याख्याता पंचायत की सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी 02 से अधिक जीवित संतान है जिसमें 01 का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके बाद हुआ हो, पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की सकेगी।

4. कोई भी उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, पाये जाने पर उक्त नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

5. व्याख्याता पंचायत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे। दीर्घशास्ति के लिए यथास्थिति जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थाई समिति तथा लघु शास्ति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।

6. व्याख्याता पंचायत की सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्याख्याता पंचायत को लिखित में 01 माह की सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

7. व्याख्याता पंचायत की उपर वर्णित शर्तो से भिन्न सेवा की शर्ते भी यथा स्थिति जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तो के समान ही होगी।

8. प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत ही यथास्थिति कार्यभार ग्रहण मान्य होगा।

9. प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की वैद्यानिक्ता प्रमाणित करने का भार नियुक्त व्याख्याता पंचायत पर होगा।

10. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सा के चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

11. पुलिस सत्यापन मे दोषी पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

12. नियुक्ति प्रकिया में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनती है तो नियुक्त व्याख्याता पंचायत की नियुक्ति प्रकिया न्यायालय के निर्णय से बाधित होगी।

13. छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 नियम 05 (2) के अंतर्गत कोई भी पंचायत सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और नहीं किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।

14. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, एक माह का विभागीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। उपरोक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नही करने पर सम्बंधित उम्मीदवार की सेवाएँ समाप्त भी की जा सकती है।

15. नियुक्त व्याख्याता पंचायत छ.ग. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के अंतर्गत शासित होंगे।

16. बी.एड.उपाधि धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिनका चयन हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड पाठयकम में उपाधि प्राप्त करनी होगी अन्यथा उनकी सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाऐगी।

आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर दिनांक 11.12.2017 तक पदांकित शाला में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करें एवं कार्यभार ग्रहण करते समय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज की स्वप्रमाणित कॉपी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

1.12.17

(एस.जयवर्धन,भा.प्र.से)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

क्र./8958/स्था/शिक्षा/जि.पं/2017 बलौदाबाजार–भाटापारा,दिनांक 02 DEC 2017

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय,छ.ग. 36 CIII ब्लाक- II द्वितीय तक इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संभागायुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ।
6. माननीय अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार को सूचनार्थ।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
10. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित की उपस्थिति होने पर मूल अभिलेखों की जॉच कर पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करावें।
11. सम्बंधित प्राचार्य शास.उ.मा.वि./हाई स्कूल.. को सूचना एवं पालनार्थ।
12. संबंधित श्री/कु/श्रीमती .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश नस्ती (गार्ड फाईल हेतु)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

3 D:user Hitesh Niukti Aadesh File Geography